(रवि विजय)
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला-जयपुर (राज.)

22.10.12

वकील उपस्थित उपस्थित (अभिभाषक संघ द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित रखा) है। अतः सूचिबद्ध मत आदेश की प्रतीक्षा में 24.10.12 को पेश हो।

24.10.12

पत्रावली पेश हुई सुनी गयी। उभय अभिभाषक अनुपस्थित। अभियोजन अभिभाषक उपस्थित। मूल वाद क्रम हाजरी व क्रम पैरवी खारिज हो चुका है। अतः सूचना पत्र को चलाने का कोई औचित्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली नियम हुआ होकर मूल वाद के साथ नत्थी रहे।

(रवि विजय)
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा, जिला-जयपुर (राज.)